न्यायालय– जिला एवं अपर स564त्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-564/2026
राज बलि उर्फ राज बलि महतो एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार
[लकड़ी नवीगंज थाना कांड संख्या 34/2026]
आदेश

04.05.2026 आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. राज बलि उर्फ राज बलि महतो, 2. सुगांती देवी एवं 3. सरिता देवी** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन सं0 564/2026, लकड़ी नवीगंज थाना कांड संख्या 34/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 303(2), 74, 109, 351(2), 352/3(5) भारतीय न्याय संहिता पर आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता श्री नवीन कुमार श्रीवास्तव एवं विपक्षी विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह को सुना।

संक्षेप में अभियोजन का कथन यह है कि सूचिका के पति के बाबा सहोदर महतो थे जिनका 2 कट्ठा, 8 धुर जमीन था जिसमें सूचिका के पति ढोड़ा महतो तथा उनके तीन भाई थे जिन्होंने 10–10 धुर जमीन का बंटवारा आपस में कर लिए तथा 8 धुर जमीन आने–जाने का रास्ता रखा गया। उसी रास्ता के विवाद को लेकर दिनांक 10.02.2026 को समय 07:00 बजे सुबह में जमीन में ईंट गिराने को लेकर राजबलि, संतोष महतो, रोहन कुमार, रीना कुमारी, सरिता देवी, सुगांती देवी एवं उमा देवी सभी मिलकर लाठी, डंडा से मारने लगे तथा राजबलि महतो ने हाथ में लिए लोहे के खंती से मारे जिससे बायां पैर में जख्म हो गया तथा राजबलि महतो ने स्कीनटच मोबाईल छीन लिया। संतोष कुमार ने सूचिका का गर्दन दबाकर ईंट से मारने लगे तथा राजबलि ने सूचिका का साड़ी खिंचकर उन्हें नंगा कर दिया।

आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि इस केस की सूचिका फुलवंती देवी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर यह मामला पंजीकृत कराया गया है। आवेदकगण की ओर से कोई अग्रिम या नियमित जमानत आवेदन कभी भी विद्वान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिवान या माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष दायर नहीं किया गया है। अभियोजन की कहानी पूरी तरह से झूठा है। आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से विभिन्न थानों में कई मामले पंजीकृत है जिसमें वे जमानत पर हैं। आवेदकगण को झूठे तरीके से पुरानी दुश्मनी और भूमि विवाद के कारण इस मामले में घसीटा गया है। आवेदकगण के खिलाफ लगाई गई धारा 109, 74, 303(2) भारतीय न्याय संहिता को छोड़कर सभी जमानतीय है और आवेदकगण के खिलाफ 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत कोई मामला नहीं बनता है। आवेदकगण मामले की जांच और सुनवाई में अपना पूर्ण सहयोग देने का वचन देते हैं। अतः उनके द्वारा आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री रघुवर सिंह के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए अपने तर्क में यह कहा है कि आवेदकगण द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज किया जाय।

न्यायालय– जिला एवं अपर स564त्र न्यायाधीश–तृतीय, सिवान
उपस्थितः– उमेश मणि त्रिपाठी
A.B.P. No.-564/2026
राज बलि उर्फ राज बलि महतो एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार
[लकड़ी नवीगंज थाना कांड संख्या 34/2026]

04.05.2026
लगातार

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में प्राथमिकी लकड़ी नवीगंज थाना कांड संख्या 34/2026, अंतर्गत धारा अंतर्गत धारा 126(2), 115(2), 117(2), 303(2), 74, 109, 351(2), 352/3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पंजीकृत कराई गई है। आवेदकगण के खिलाफ अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचिका को खंती से मारकर जख्म कारित करने और चोरी करने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी के साथ जख्मी/सूचिका के जख्म प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न है जिसमें चिकित्सक ने जख्मी के जख्म को गंभीर प्रकृति का पाया है किंतु चिकित्सक द्वारा जख्मी के जख्म को शरीर के महत्वपूर्ण अंग पर नहीं पाया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका संख्या 15 के अनुसार आवेदकगण के खिलाफ पूर्व से विभिन्न थानों में कई मामले पंजीकृत है। दोनों पक्षों के बीच भूमि संबंधी विवाद चल रहा है और पलटावाद का मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध एवं कारित जख्म की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकृत होने योग्य है।

अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण **1. राज बलि उर्फ राज बलि महतो, 2. सुगांती देवी एवं 3. सरिता देवी** को 30 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने अथवा विद्वान विचारण न्यायालय में आत्म समर्पण करने के पश्चात् इनके द्वारा मो0 10,000/– रूपये की राशि के दो समान प्रतिभूवाले बंधपत्र दाखिल करने पर विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि के पश्चात् धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 के शर्तो के अलावे एक जमानतदार आवेदकगण का निकट संबंधी होने की शर्त के अनुपालन के निर्देश के साथ जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(उमेश मणि त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, तृतीय,
सिवान।
दिनांक 04.05.2026

Date of Order/Judgment	04.05.2026
Date of Reserving Order/Judgment	04.05.2026
Uploading Date	08.05.2026
Uploaded By	RAVI KANT